(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़

निग-1649-I-16

राकेश शुक्ला, तत्कालीन तहसीलदार,
टीकमगढ, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— अनावेदक

दिनांक 27-5-16 को श्री दिवाकर दीक्षित अभि० द्वारा प्रस्तुत

27-5-16

न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 5 स्वमेव निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ आवेदक को आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक पर यह आरोप लगाया गया है कि भूमि खसरा नं. 1031 रकवा 1.757 है0 खसरा नं.359 रकवा 0.061 है0 एवं बंजर खसरा नं.360 रकवा 0.142 है9 बंजर एवं पठार मद में शासकीय दर्ज थी किन्तु न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 17/अ–6/अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2013 में शासकीय भूमि नन्दलाल, बिहारी पुत्र गुन्छे के भूमिस्वामी स्वत्व के दर्ज कर दी गयी है। जबकि यह कथन वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त भूमि को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1649/एक/2016 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 5/स्वमेव निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ ग्राम आवेदक पर यह आरोप लगाया गया है कि शासकीय भूमि रकबा खसरा क्रमांक 546/2 रकवा 0.539 है0 को आदेश दिनांक 13.01.2014 से अभिलेख दुरूस्ती का आदेश दिया जाकर वर्ष 1975-76 में आदेश दिनांक 30.07.1976 को अस्थाई पट्टा दिया गया है। इस आधार पर वर्तमान प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाकर आरोप सिद्ध मानकर आवेदक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। 3- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदक के विरूद्ध जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसमें उन्हें सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है इसके अतिरिक्त उनके	

विरूद्ध जो आरोप मानकर आदेश पारित किया है, वह आरोप साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। न्यायाधीश को संरक्षण अधिनियम 1985 के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गयी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उपरोक्त न्याय, प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- प्रकरण में शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

6- उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा जो कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध की गयी है, वह विधिवत नहीं है क्योंकि 2004 आर.एन. 31 में उच्च.न्याया. द्वारा निर्धारित किया गया है कि धारा 31 न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम 1985 की धारा 2 तथा धारा 3 संहिता के अधीन तहसीलदार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना उसकी धारा 31 के अधीन राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करना है। अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित न्यायधीश होने से 1985 की अधिनियम की धारा 3 के अधीन संरक्षित है। अभियोजित रद्द किया जा सकता है। उसके विरूद्ध आपराधिक परिवाद विधि की प्रक्रिया दुरूपयोग है, वह खारिज किये जाने योग्य है। कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा वर्तमान

प्रकरण को अधिक समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के आदेश का प्रश्न है तो उसके द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया.2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग-आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए - 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा आवेदक को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया आपराधिक कृत्य का दोषी माना गया है, जबकि इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे आवेदक को आपराधिक कृत्य का दोषी माना जा सके। उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/स्वप्रेरणा निगरानी/2015-16 पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 में शब्द "प्रथमदृष्टया आपराधिक

कृत्य" किया है, तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने के संबंध में जो आदेश दिया गया है, उक्त भाग तक आदेश निरस्त किया जाता है एवं आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

सदस्य